न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : खण्डपीठ

1–मनोज गोयल
अध्यक्ष
2–अशीष श्रीवास्तव,
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 968–तीन/2003 विरूद्ध आदेश दिनांक 23.6.03 पारित द्वारा न्यायालय कलेक्टर जिला भिण्ड प्रकरण कमांक 18/2002–03/अ.न.पा.

.....

1–नगर पंचायत मौ जिला भिण्ड
द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी
2–नगर पंचायत मौ की प्रेसीडेंट इन काउन्सिल द्वारा
(अ) अध्यक्ष प्रेसीडेंट इन काउंसिल एवं
अध्यक्ष नगर पंचायत मौ
(ब) सचिव, प्रेसीडेंट इन काउंसिल एवं
प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पंचायत मौ जिला भिण्ड ..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–श्री के0एल0जैन पुत्र श्री दुन्नीलाल जैन
मुख्य–लिपिक कम लेखापाल
नगर पंचायत मौ जिला भिण्ड

..... अनावेदक

2–असलम उपाध्यक्ष एवं सदस्य
प्रेसीडेंट इन काउंसिल नगर पंचायत मौ जिला भिण्ड
3–असलम पुत्र मुहम्मद खां पार्षद वार्ड कमांक 11
एवं सदस्य प्रेसीडेंट इन काउंसिल नगर पंचायत मौ
जिला भिण्ड
4–बेतालसिंह यादव पार्षद वार्ड कमांक 15
एवं सदस्य प्रेसीडेंट इन काउंसिल नगर पंचायत मौ
जिला भिण्ड
5–मुन्नीबाई पार्षद वार्ड कमांक 3 एवं
सदस्य प्रेसीडेंट इन काउंसिल मौ जिला भिण्ड

6–गोविन्दसिंह यादव वार्ड कमांक 5 पार्षद
एवं सदस्य प्रेसीडेंट इन काउंसिल
नगर पंचायत मौ जिला भिण्ड .....प्रोफार्मा अनावेदक क्र.2 से 6

.....

श्री के0एल0जैन, स्वयं
श्री एस0के0श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक क्र.2,4,6
सर्वश्री एस.पी.धाकड़,डी.एस.चौहान,एस.एन.शर्मा,ओ.पी.शर्मा,दिवाकर दीक्षित,धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, दिलीप पासी, टी.टी.गुप्ता, न्यायमित्र अभिभाषकगण

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 5/11/2015 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 (जिसे संक्षेप में केवल अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 331 के अंतर्गत कलेक्टर जिला भिण्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–6–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 के.एल. जैन, नगर पंचायत, मौ में मुख्य लिपिक कम लेखाखाल के पद पर पदस्थ थे । नगर पंचायत मौ की प्रसीडेन्ट इन काउन्सेल द्वारा दिनांक 5–8–2002 को संकल्प कमांक 38 पारित कर अनावेदक कमांक 1 को निलम्बित किए जाने का निर्णय लिया गया । तद्नुसार दिनांक 25–11–2002 को अनावेदक कमांक 1 को निलम्बित करने संबंधी आदेश पारित किया गया। अनावेदक कमांक 1 द्वारा प्रसीडेन्ट इन काउन्सेल, नगर पंचायत के संकल्प कमांक 38 दिनांक 5–8–2002 एवं आदेश दिनांक 25–11–2002 के विरूद्ध अपील कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर कलेक्टर द्वारा दिनांक 23–6–2003 को आदेश पारित कर नगर पंचायत का निलम्बन आदेश निरस्त किया गया । कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ इस खण्डपीठ के समक्ष विधि का निम्नलिखित प्रश्न विचाराधीन है :–

"क्या म.प्र. नगर पालिका कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1968 (जिसे संक्षेप में भर्ती नियम कहा जायेगा) की धारा 56 में पारित आदेश के विरूद्ध निगरानी सुने जाने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को है अथवा नहीं ?"

इस संबंध में अनावेदक कमांक 1, 2, 4 एवं 6 के विद्वान अभिभाषक सहित न्यायमित्र अभिभाषकगण द्वारा केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि म.प्र. नगर पालिका अधिनियम, 1961

की धारा 330 एवं 331 की शक्तियां राज्य शासन द्वारा राजस्व मण्डल से वापिस ले ली गई है एवं भर्ती नियमों के नियम 56 में पारित आदेश के विरूद्ध भी निगरानी सुनने का क्षेत्राधिकार राज्य शासन को है । इस आधार पर कहा गया कि इस न्यायालय को निगरानी सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है ।

4/ विद्वान अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। कलेक्टर के आदेश दिनांक 23–6–2003 को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा अधिनियम की धारा 307 सहपठित भर्ती नियमों के नियम 56 के अंतर्गत अपील में आदेश पारित किया गया है और कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी अधिनियम की धारा 331 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है । अधिनियम की धारा 331 के अन्तर्गत निगरानी सुनने का क्षेत्राधिकार राज्य शासन को है । राज्य शासन द्वारा अधिसूचना कमांक 1883–सीआर–238–1966 दिनांक 24–7–1966 जिसका प्रकाशन राजपत्र में दिनांक **3–6–1966** को हुआ है, से अधिनियम की धारा 331 (निगरानी) की शक्तियॉ राजस्व मण्डल को प्रदत्त की गई थी । राज्य शासन द्वारा अधिसूचना दिनांक 13–10–2000 जिसका प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 20–10–2000 को हुआ है, से उक्त अधिसूचना निरस्त कर दी गई है । इस प्रकार वर्तमान में राजस्व मण्डल को अधिनियम की धारा 331 के अन्तर्गत निगरानी सुनने की शक्तियां प्राप्त नहीं है । इसके अतिरिक्त भर्ती नियमों के नियम 56 के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा प्रथम अपील में आदेश पारित किया गया है । कलेक्टर द्वारा प्रथम अपील में पारित आदेश के विरूद्ध भर्ती नियमों के नियम 56 (3) के अन्तर्गत द्वितीय अपील आयुक्त को प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान है, और भर्ती नियमों के नियम 56 (3) में पारित आदेश के विरूद्ध निगरानी राज्य शासन को किए जाने का प्रावधान है । स्पष्ट है उपरोक्त प्रावधान के अन्तर्गत भी राजस्व मण्डल को निगरानी सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर इस निगरानी को सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने से निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर

(अशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर